

संख्या.....6..... तारीख दायर 23/01/2020..... दिनांक निर्णय.....

उनवान

पटवारी हलाका राजपुर बडा बनाम गोरदान पुत्र टोडूराम

आज पत्रावली मु. न्यायालय, नायब तहसीलदार राजगढ़ पेश हुई। गैरसायल उप./अनु. जवाब श किया/नहीं करना चाहता है। सबूत गैरसायल बन्द की जानी है। अतिकमी का स. 206-2076 का जया कब्जा होना साबित होता है। अतिकमी काबिल बेदखली है।

अतः आदेश है कि-

गैरसायल गोरदान पुत्र टोडूराम

जाति भुर्जर निवासी राजपुर बडा को

आराजी खसरा नं. 1469/2305 रकबा 2.05 किस्म चारागाह वाके ग्राम राजपुर बडा

से बेदखल किया जाता है तथा शरह लगान 0.06 की 50 गुणा में मु.

3/- तीन रुपये मात्र कायमी कराई जावे TRA व पटवारी की पालनार्थ लिखा लावें।

फसल निलामी हेतु गिरदावर/कानूनगो को लिखा जावें।

नायब तहसीलदार
राजगढ़ (अलवर)
राजगढ़ (अलवर)

रा. ले. स. 4 वर्ष 2020-21
के पृष्ठ संख्या 09 पर जा. पं. 03/-
राशि कायम किये गये।

पिबे
ब. रा. लेखाकार

राजपुर बडा
को लिखा